



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2016/माघ 20, 1937

No. 360]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2016/MAGHA 20, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2016

**का.आ. 420(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 225 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	नया रारा सं.	रारा का विवरण
(1)	(2)	(3)
225	563	आंध्र प्रदेश राज्य में जगतियाल के निकट रारा सं-63 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर करीमनगर, वारंगल, मेटेड को जोड़ते हुए और खम्मम के निकट रारा-365-ए पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं.एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-1)]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1031 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2016

**S.O. 420E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 225 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
225	563	The highway starting from its junction with NH-63 near Jagtiyal connecting Karimnagar, Warangal, Mated and terminating at NH-365A near Khammam in the State of Andhra Pradesh.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-1)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Footnote :** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1031 (E), dated 17<sup>th</sup> April, 2015.